वि. स. -649 (2) (अ) परिशिष्ट-"अ"

## कार्यालय– नगर पालिका परिषद भिण्ड (म0प्र0)

***विधानसभाग तारांकित प्रश्न कमांक 649 के प्रश्नांश "घ" के संबंध में चाहा गया विवरण***

श्री महावीर कीर्ति स्तम्भ के संबंध में नगरपालिका भिण्ड के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में से प्रशासक संकल्प कमांक 288 दिनांक 15.11.74 एवं परिषद संकल्प कमांक 36 दिनांक 12.09.1975 से 90X100 मीटर मात्र भूमि, कीर्ति स्तम्भ एवं पार्क निर्माण के लिए नगरपालिका भिण्ड के स्वामित्व के अध्याधीन कीर्ति स्तम्भ निर्माण समिति को दिये जाने की सहमति दी गई थी संकल्प अनुसार जैन कीर्ति स्तम्भ समिति द्वारा अनुबंध आज तक निष्पादित न किये जाने से कार्यवाही लंबित रही । (उक्त संकल्पो की सत्यप्रतिलिपियां संलग्न प्रस्तुत हैं जो **प्रदर्श पी–1 एवं पी–2)**

1. जिला भिण्ड के तत्कालीन कलेक्टर श्री कोमल सिंह के द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र कमांक क्यू/1–ख/न.स्था.शा./99/612 भिण्ड दिनांक 05.05.1999 से भूमि हस्तांतरण करने विस्तृत प्रतिवेदन श्री यू.के. सामल तत्कालीन प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर भेजा जाकर उसकी प्रति अध्यक्ष नगरपालिका परिषद भिण्ड एवं सचिव श्री 1008 भगवान महावीर 2500 निर्वाण कीर्ति स्तम्भ महावीर भवन, बालउद्यान, निर्माण एवं व्यवस्था न्यास समिति (पंजीकृत) भिण्ड की ओर भेजी गई। **(प्रदर्श पी–3)**

उक्त पत्र के द्वारा नगरपालिका प्रशासक संकल्प कमांक 288 दिनांक 15.11.1974 एवं परिषद प्रस्ताव कमांक 36 दिनांक 12.09.1975 के अनुसार कीर्ति स्तम्भ एवं पार्क निर्माण करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें भूमि का स्वामित्व नगरपालिका का ठहराया गया था । दिनांक 05.08.1987 को तत्कालीन कलेक्टर की अध्यक्षता में भगवान महावीर 2500वा निर्माण महोत्सव भिण्ड बैठक में निर्णय लिया गया उक्त भूमि पर कीर्ति स्तम्भ उद्यान स्थापित किये जाने एवं महावीर जैन सभा भवन व छत्री का निर्माण कराया जावे इसके कम में प्रशासक नगरपालिका भिण्ड के संकल्प कमांक 127 दिनांक 02.09.1987 में संशोधन कर संकल्प कमांक 53 दिनांक 29.03.1988 पारित कर नगरपालिका के स्वत्व की भूमि ग्राम विकमपुरा के सर्वे कमांक 324 व 325 में से 100मी0X100मी0 भूमि श्री महावीर निर्वाण महोत्सव समिति को निम्नलिखित शर्तो पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया ।

(1.) इस समिति का नाम श्री 1008 दि0 जैन महावीर कीर्ति स्तम्भ महावीर भवन वालोद्यान निर्माण व्यवस्था समिति (रजिस्टर्ड) होगा जिसका चयन कलेक्टर द्वारा प्रति तीन वर्ष दिया जावेगा।
(2.) समिति की सदस्य संख्या 17 होगी। विस्तृत विवरण संकल्प में वर्णित है।
(3.) उक्त समस्त भूमि पर आधिपत्य समिति का होगा एवं स्वामित्व नगर पालिका का होगा।
(4.) कीर्ति स्तम्भ परिसर में वालोद्यान एवं महावीर उद्यान, महावीर भवन आदि का निर्माण समिति द्वारा किया जावेगा।
(5.) महावीर कीर्ति स्तम्भ परिसर में निर्मित कीर्ति स्तम्भ वालोद्यान महावीर भवन आदि का प्लान लेआउट विधिवत टाउन प्लानिंग विभाग से तैयार कराया जावेगा। उसी के अनुसार निर्माण होगा।
(6.) सड़क के किनारे छोड़ी जाने वाली भूमि पर नगरपालिका या समिति कोई निर्माण कार्य नही करेगी।
(7.) अन्य शर्ते भी आयद की गई।

मुख्य शर्तो के पालन में समिति का ट्रस्ट के रूप में विधिवत पंजीयन कराया गया, उसी प्रकार शेष शर्तो पर भी कार्यवाही समिति द्वारा की गई ।

नगरपालिका का उक्त संकल्प कमांक 53 दिनांक 29.03.1988, स्वीकृति हेतु तत्कालीन कलेक्टर के माध्यम से शासन को पत्र कमांक क्यू 11–ख/न.स्था.शा./01/88/12695 दिनांक 14.10.1988 द्वारा भेजा गया, जिसकी स्वीकृति अभी भी अपेक्षित है। हालांकि स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिकांश निर्माण कार्य हो गया और शेष कार्य जारी है।

कीर्ति स्तम्भ के निर्माण का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय स्व. श्री प्रकाशचन्द्र सेठी द्वार किया गया था।

माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश श्री दिग्विजय सिंह जी ने दिनांक 31.12.1998 को जैन समाज के कार्यकम में भाग लिया । इस मौके पर जैन समाज के व्यक्तियो ने मांग की कि उक्त भूमि पर वंटन की शर्त कमांक 3 के आधार पर अभी भी नगरपालिका का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है, जबकि शेष शर्तो के अनुसार इस पर पंजीकृत समिति का आधिपत्य होकर अधिकांश निर्माण हो चुका है। उन्होने मांग की कि राजस्व अभिलेख में भी श्री 1008 दि0 जैन महावीर 2500वां निर्वाण कीर्ति स्तम्भ, महावीर भवन, वालोद्यान, निर्माण व्यवस्था न्यास समिति के नाम इन्द्राज किया जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मांग की जायज ठहराते हुए समिति के नाम उक्त भूमि का स्वत्व करने की घोषणा की ।

समिति की मांग उचित है। अतः जैन समाज एवं उक्त समिति की मांग के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा की पूर्ति हेतु इस कार्यालय के पत्र कमांक क्यू/1–ख/न.स्था.शा./88/12695 दिनांक 14.10.1988 द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर समिति को उक्त भूमि निःशुल्क हस्तान्तरित करने संबंधी आदेश भिजवाने की व्यवस्था करें। प्रकरण में नगरपालिका भिण्ड के संकल्प कमांक 53 दिनांक 29.03.1988 की शर्त 3 में मात्र संशोधन करना है, क्योकि वास्तविक रूप से उक्त भूमि अनेक वर्षो से उक्त समिति के आधिपत्य में होकर वहां धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते है।

अशोक शर्मा
उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश

(क्रमशः-3)

(3)

उक्त पत्र अनुसार निःशुल्क हस्तांतरण करने संबंधी शासन इस निकाय को कोई आदेश प्राप्त नही हुआ तथा निकाय द्वारा भी इस संबंध में संकल्प कमांक 53 दिनांक 29.03.1988 में कोई संशोधन न किये जाने से प्रकरण में यथास्थिति निर्मित रही।

2. म0प्र0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के अवर सचिव का पत्र कमांक एफ 10–58/99/18–2 भोपाल दिनांक 05.04.2000 से कीर्ति स्तम्भ की जमीन जैन समाज़ के नाम करने बावत् प्राप्त हुआ जिसमें संदर्भित पत्र दिनांक 11. 01.2000 से चाही गई जानकारी प्राप्त न होने से प्रकरण कैबिनेट में रखे जाने का उल्लेख करते हुए निकाय से जानकारी चाही गई। **(प्रदर्श पी–4)**

3. उक्त पत्र के पालन में निकाय द्वारा पत्र कमांक निर्माण/ 2000/1351 भिण्ड दिनांक 28.04.2000 से चाहे गये संकल्प 288 दिनांक 08.11.1974 एवं संकल्प 127 दिनांक 02.09.1987 तथा संकल्प कमांक 53 दिनांक 29.03.1988 की सत्यप्रतिलिपिया शासन को भेजी गई । **(प्रदर्श पी–5)**

4. म0प्र0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के अवर सचिव श्री एम.पी. अहिरवार द्वारा पत्र कमांक एफ/10–58/99/18–2 भोपाल दिनांक 05.07.2000 से वांछित 90X100 मीटर भूमि के मूल्य की जानकारी चाही गई जिसे कार्यालय कलेक्टर (नजूल) जिला भिण्ड द्वारा अपने पत्र कमांक 656 दिनांक 15.09.2000 से अवर सचिव म0प्र0 शासन की ओर भेजा गया। जिसमें वर्ष 1987–88 का मूल्य 11.00 प्रति वर्गफीट के मान से 165240.00 तथा वर्ष 1999–2000 का मूल्य 3.00 हजार रूपये प्रति वर्गमीटर के मान से 27000000.00 की जानकारी शासन को भेजी गई उक्त राशि शासन से निकाय को प्राप्त न होने से भूमि का आवंटन तत्समय नही किया जा सका। **(प्रदर्श पी–6 एवं पी–7)**

5. म0प्र0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के पत्र कमांक एफ 10/58/99/18–2 भोपाल दिनांक 30.09.2002 एवं पत्र कमांक एफ–10–58/99/18–2 दिनांक 16.10.2002 तथा अर्द्धशासकीय पत्र कमांक उपसचिव श्री बी.एस. बघेल म0प्र0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय भोपाल का अर्द्धशासकीय पत्र कमांक एफ–10–58/99/18–2 भोपाल दिनांक 30.11.2002 का प्राप्त हुआ जिनके द्वारा श्री महावीर कीर्ति स्तम्भ न्यास समिति भिण्ड को भूमि आवंटन से संबंधित जानकारी/अभिमत चाहा जिसे निकाय द्वारा अपने पत्र कमांक/निर्माण/2002/3283 भिण्ड दिनांक 28.12.2002 से अवर सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल की ओर भेजा गया। उक्त सभी पत्रो की छायाप्रतियां संलग्न प्रस्तुत है। **(प्रदर्श पी–8, पी–9, पी–10 एवं पी–11)**

6. इसी कम में म0प्र0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के अवर सचिव श्री जे.पी. पिडिहा द्वारा पत्र कमांक एफ 10/58/99/18–2 भोपाल दिनांक 03.03.2003 से कार्यालीन पत्र कमांक 3283 दिनांक 28.12.2002 के संदर्भ में नगरपालिका भिण्ड न्यास समिति भिण्ड से पारित संकल्प दिनांक 12.09.1975 के अनुसार अपेक्षित अनुबंध संबंधी कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण कर सात दिवस के अंदर चाही गई । इस पत्र के पालन में निकाय द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड एवं अध्यक्ष भगवान महावीर कीर्ति स्तम्भ वालोद्यान निर्माण समिति भिण्ड को कार्यालीन पत्र कमांक/निर्माण/2003/820 दिनांक 28.03.2003 से अनुबंध चाहा गया। मुताबिक शर्तो के अधीन अनुबंध शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया । जिसकी सूचना अवर सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल को पृष्ठान कमांक 821–23 दिनांक 28.03.2003 से अवर सचिव म0प्र0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को सूचित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री महावीर कीर्ति स्तम्भ न्यास समिति भिण्ड की ओर संकल्प के अनुपालन में अनुबंध निष्पादित/उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया । **(प्रदर्श पी–12 एवं पी–13)**

7. उक्त अनुबंध की प्रति शासन को उपलब्ध न कराये जाने के कारण शासन द्वारा निम्नांकित पत्रो से अनुबंध कराने हेतु रिमाइंडर पत्र भेजे गये जो निम्नानुसार है:– पत्र कमांक एफ/10–58/99/18–2 भोपाल दिनांक 04.12.2003, 13.02.2004, 28.12.2006 से अनुबंध की प्रति चाही गई जो उपलब्ध न होने से कार्यालीन पत्र कमांक <u>निर्माण/2004/201</u> दिनांक 31.01.2004 से उक्त अनुबंध की प्रति शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर जिला भिण्ड एवं अध्यक्ष भगवान महावीर कीर्ति स्तम्भ वालोद्यान निर्माण व्यवस्था भिण्ड से निवेदन किया गया तथा इसकी सूचना नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल को पृ0 कमांक 202 दिनांक 31.01.2004 से प्रदान की गई पुनः पत्र कमांक 594–596 दिनांक 10.03.2004 से उक्त अनुबंध उपलब्ध कराने हेतु पुनः उपरोक्तानुसार लिखा जाकर सूचना शासन की ओर भेजी गई। **(प्रदर्श पी–14, पी–15, पी–16, पी–17 एवं पी–18)**

अशोक ...
उप ... विकास
नगरीय प्रशासन ...

8. इसी तारतम्य में विधानसभा प्रश्न कमांक 4087 दिनांक 30.07.2002 अतारांकित की जानकारी कार्यालीन पत्र कमांक 2102 दिनांक 27.07.2002 से आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल को प्रदान की गई जिसके प्रश्नांश "क" में महावीर कीर्ति स्तम्भ समिति से अपेक्षित अनुबंध प्राप्त न होने प्रश्नांश "ग" में भूमि का स्वामित्व नगरपालिका का होने से हस्तांतरण हेतु शासन स्वीकृत प्राप्त न होने से भूमि का हस्तांतरण न किये जाने बावत् उल्लेख किया गया है। जिसकी प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। **(प्रदर्श पी–19)**

(क्रमशः –4)

(5)

9. पुनः नगरपालिका परिषद् भिण्ड के साधारण व्यापक सम्मेलन क्रमांक 2 के संकल्प क्रमांक 25 दिनांक 19–02–2010 से जैन कीर्ति स्तम्भ भूमि के सम्बंध में पारित किया गया। जिसमें कीर्ति स्तम्भ का हस्तांतरण शासन स्वीकृति प्राप्त न होने से नहीं किया गया है एवं कीर्ति स्तम्भ समिति द्वारा सूचना के बाद अनुबंध का निष्पादन तथा मुआवजा राशि 2.70 करोड का भुगतान न किये जाने से उक्त पूर्ति उपरांत प्रकरण में आगामी कार्यवाही किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। **(प्रदर्श पी–20)** उक्त संकल्प में संशोधन हेतु नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 57 के तहत विशेष सम्मेलन बुलाये जाने हेतु पार्षदगणों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरीय आवेदन प्रस्तुत किया गया। **(प्रदर्श पी–21)** पार्षदों के उक्त आवेदन के आधार पर परिषद् का विशेष सम्मेलन क्रमांक 06 आहूत किया गया, जिसके संकल्प क्रमांक 191 दिनांक 28–09–2013 से पूर्व संकल्प क्रमांक 25 दिनांक 19–02–2010 को म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार कण्डिका क्रमांक 23 में निर्धारित न्यूनतम् दर के विपरीत होने के कारण व्यावहारिक नहीं माना गया। विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री महावीर कीर्ति स्तम्भ को नगरपालिका के स्वामित्व की भूमि 100X90 मीटर भूखण्ड को हस्तांतरण करने के लिए नियमानुसार नगरपालिका विधान 1961 की धारा 109 एवं म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार(एक) की कण्डिका 13, 17 एवं 23 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन की लिखित स्वीकृति उपरांत अंतरण की कार्यवाही किये जाने हेतु श्री जे.पी. शर्मा उपाध्यक्ष नगरपालिका भिण्ड को शासन में कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया। **(प्रदर्श पी–22)**

10. उक्त संकल्प के पालन में पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग वल्लभ भवन भोपाल की ओर कलेक्टर भिण्ड के माध्यम से भिजवाने हेतु प्रस्ताव कमांक 107/2000x14/2/5833 दिनांक 30.10.2014 से भेजा गया। **(प्रदर्श पी–23)** उक्त प्रस्ताव को कलेक्टर द्वारा अपने पत्र क्रमांक क्यू/1–ख/न.स्था.शा./14/415 भिण्ड दिनांक 11.11.2014 के संलग्न प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग वल्लभ भवन भोपाल की ओर भेजा गया, उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है। **(प्रदर्श पी–24)**

11. माननीय विधायक श्री नरेन्द्र सिंह जी कुशवाह भिण्ड के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय म.प्र. शासन को प्रेषित पत्र दिनांक 12–06–2016 की मांग पर म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक 1612/2411/2016/सात–2ए भोपाल,दिनांक 29–08–2016 से कलेक्टर जिला भिण्ड को जैन कीर्ति स्तम्भ भिण्ड की जमीन हस्तांतरण करने बावत् पत्र संलग्न कर तथ्यों का परीक्षण कर कृत कार्यवाही से राजस्व विभाग भोपाल को एवं आवेदक को अवगत कराने हेतु लिखा गया। **(प्रदर्श पी–25)** उक्त पत्र के पालन में कलेक्टर जिला भिण्ड के पत्र कमांक/क्यू/रीडर/कलेक्ट्रेट/2016/11827 भिण्ड,दिनांक 15–11–2016 से सचिव राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल एवं प्रतिलिपि पृष्ठांकन पत्र कमांक 11828 से प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं निज सचिव माननीय विधायक विधान सभी क्षेत्र भिण्ड की ओर सूचना भेजी गई। **(प्रदर्श पी–26)** जिसमें नगरपालिका परिषद् भिण्ड के विशेष सम्मेलन कमांक 06 के संकल्प कमांक 191 दिनांक 28–09–2013 के पालन में मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद् भिण्ड के पत्र दिनांक 31–10–2014 से प्राप्त प्रस्ताव को कलेक्टर कार्यालय के पत्र कमांक/1–ख/न.स्था.शा./14/1215 भिण्ड,दिनांक 11.11.2014 से प्रमुख सचिव म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग बल्लभ भवन भोपाल को वांछित स्वीकृति हेतु भेजे जाने की सूचना दी गई।

इस प्रकार श्री महावीर कीर्ति स्तम्भ भिण्ड की भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव वर्तमान में नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल में विचाराधीन है। अस्तु प्रश्नांश "घ" के सम्बंध में चाहा गया विवरण उपरोक्तानुसार मय सह पत्रों के संलग्न प्रेषित है।

**संलग्नः उपरोक्तानुसार सहपत्र।**

**मुख्य नगरपालिका अधिकारी**
**नगरपालिका परिषद् भिण्ड (म.प्र.)**

अशोक शर्मा
उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग